राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

क्रमांक : प. 1(6)वित्त/अंकेक्षण/2020 जयपुर, दिनांक : 04-09-2020

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषय : भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2018–19 में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर भिजवाने एवं अनियमितताओं के लिए वांछित कार्रवाई कराने के संबंध में।

महोदय,

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2018–19 राजस्थान विधान सभा में दिनांक 21–08–2020 को उपस्थापित किया जा चुका है। प्रतिवेदन की प्रति निदेशक, वित्त (बजट) के पत्र कमांक प–7(7)वित्त–1(1)आ.व्य./2020 दिनांक 25–08–2020 द्वारा प्रेषित की जा चुकी हैं। यदि प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई हो तो कृपया वित्त विभाग (बजट अनुभाग) से प्राप्त करने की व्यवस्था करावें। उक्त प्रतिवेदन महालेखाकार राजस्थान की वेबसाइट agraj.cag.gov.in पर भी उपलब्ध है।

जैसा कि आपको विदित है भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के उक्त प्रतिवेदन में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II) से संवीक्षोपरान्त राजस्थान विधान सभा (राजकीय उपक्रम समिति) को प्रतिवेदन के सदन में उपस्थापित किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के अन्दर आवश्यक रूप से भिजवाए जाने हैं।

अतः अनुरोध है कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम) वर्ष 2018–19 में समाविष्ट आपके अधीनस्थ राजकीय उपक्रमों/निगमों/कम्पनियों से संबंधित समस्त अनुच्छेदों के उत्तर निर्धारित समयावधि 3 माह (दिनांक 20–11–2020 तक) में महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II) से संवीक्षोपरान्त राजस्थान विधान सभा (राजकीय उपक्रम समिति) को 25 प्रतियों में भिजवाने का कष्ट करावें। राजस्थान विधानसभा को भिजवाये जाने वाले संवीक्षित उत्तर की चार प्रतियां महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II), 2 प्रतियां वित्त (व्यय–4 एवं पी.आई.) विभाग तथा एक प्रति वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भिजवाए जाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें। यह भी निवेदन है कि उक्त प्रतिवेदन में दर्शाई गई त्रुटियों/कमियों को मध्यनजर रखते हुए भविष्य के लिए व्यवस्था सुधार एवं अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने की दृष्टि से समुचित निर्देश जारी कराकर उनकी पालना सुनिश्चित की जावे। प्रतिवेदन में दर्शाई गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर वांछित कार्रवाई भी अमल में लाई जानी अपेक्षित है।

भवदीय,

(निरंजन आर्य)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—
1.सचिव,राजस्थान विधान सभा (राजकीय उपक्रम समिति), जयपुर।
2.प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
3.महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I/लेखापरीक्षा–II),राजस्थान, जयपुर।
4.समस्त संबंधित राजकीय उपक्रमों/निगमों/कम्पनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
5.समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6.निदेशक, बजट, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7.तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ), राजस्थान, जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव